सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

जन्म–मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण की मार्गदर्शिका

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
आयोजना विभाग राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

संदेश

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अनुसार जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि रजिस्ट्रीकरण कार्य में लगे हुए व्यक्ति अधिनियम व नियम के प्रावधानों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले परिपत्र/ मार्गदर्शन से पूरी तरह परिचित हो। इस पुस्तिका को उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

आशा की जाती है यह पुस्तिका उन जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक सिद्ध होगी, जो जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण का कार्य सम्पादित कर रहे है।

(ओम प्रकाश बैरवा)

जयपुर,
मार्च, 2017

प्रतिवेदन में सहयोगी अधिकारी व कर्मचारी

डॉ.सुदेश कुमार	उपमुख्य रजिस्ट्रार एवं उप निदेशक
श्रीमती सीमा तनेजा	सांख्यिकी अधिकारी
श्री राजेन्द्र कल्ला	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
श्री हीरालाल सिरवानी	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
श्री आदेश शर्मा	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
श्री रामनिवास सैन	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
श्री विजय सिंह	सांख्यिकी निरीक्षक
श्री अनिल खण्डेलवाल	संगणक
श्रीमती मीनाक्षी तिवाडी	संगणक
श्री लेखराज वर्मा	मशीन मैन

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	तहसीलदार को शपथ पत्र तस्दीक करने की अधिसूचना	1
2.	आयुक्त नगर निगम/नगर परिषद को जिला रजिस्ट्रार नियुक्त करने के सम्बन्ध में परिपत्र	2
3.	विलम्ब शुल्क एक रूपया किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना	3
4.	नवजात शिशु एवं शव की सूचना थाना प्रभारी द्वारा रजिस्ट्रार को देना	4
5.	मृत्यु की घटना का पंजीयन मृतक के निवास स्थान पर करने के सम्बन्ध में	5
6.	रजिस्ट्रार द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर जारी करने के सम्बन्ध में	6
7.	सरपंचों द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में	7
8.	जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निष्पादित शपथ पत्रों पर प्रभारित स्टाम्प शुल्क का परिहार सम्बन्धी अधिसूचना	8
9.	विलम्बित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के सम्बन्ध में	9–10
10.	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले में तहसीलदार के पास कार्यभार अधिक होने की स्थिति में किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को विलम्बित पंजीयन के आदेश देने हेतु अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में परिपत्र	11
11.	आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं स्वअधिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में	12–13
12.	जन्म रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 23.01.2015	14–16
13.	डिजिटली हस्ताक्षरित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को अनुमान्य किये जाने बाबत्	17–18
14.	जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम संशोधन के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 03.07.2015	19–20
15.	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को जन्म और मृत्यु के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना	21–22
16.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयानुसार एकल अभिभावक/अविवाहित माता की स्थिति में जन्म का रजिस्ट्रेशन	23
17.	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को निरस्तीकरण अधिकार देने के सम्बन्ध में	24
18.	जन्म रिकोर्ड में जन्म तिथि में संशोधन बाबत मार्गदर्शन पत्र दिनांक 30.06.2016	25
19.	जन्म/मृत्यु रिकोर्ड में नाम में संशोधन बाबत मार्गदर्शन पत्र दिनांक 05.07.2016	26
20.	नाम परिवर्तन हेतु नोटिफिकेशन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में	27
21.	जन्म प्रमाण पत्र में माता के नाम में सरनेम (उपनाम) लगाने के सम्बन्ध में	28
22.	जन्म/मृत्यु/मृत जन्म के प्रतिवेदन के सांख्यिकी भाग के निस्तारण के सम्बन्ध में	29

23.	वर्ष 1969 से पूर्व की घटनाओं के जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में	30
24.	गोद लिए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने की प्रक्रिया	31–35
25.	नाम में 'उर्फ' अंकित कर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन	36
26.	जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे के पिता का नाम हटाने हेतु मार्गदर्शन	37
27.	गुमशुदा व्यक्ति के मृत्यु के स्थान एवं तिथि के निर्धारण सम्बन्धी मार्गदर्शन	38
28.	गोद लिये गये बच्चों के प्रमाण पत्र में प्रविष्टि के सम्बन्ध में मार्गदर्शन दिनांक 15.05.2015	39
29.	जन्म रिकार्ड में बच्चे के नाम और जन्म तिथि में शुद्धि के लिए भारत सरकार का मार्गदर्शन पत्र दिनांक 30.06.2015	40–41
30.	एकल अभिभावक/अविवाहित माता के बच्चे का जन्म रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित मार्गदर्शन दिनांक 31.12.2015	42
31.	जन्म प्रमाण पत्र संशोधन बाबत् भारत सरकार का मार्गदर्शन पत्र दिनांक 27.07.2016	43
32.	विवाह प्रमाण पत्र में संशोधन बाबत् गृह विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन	44
33.	विवाह प्रमाण पत्र में पत्नी का नाम परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन	45
34.	माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुपालना में विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 5 में संशोधन के क्रम में	46
35.	जिला कलक्टर को जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में अधिसूचना	47
36.	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान को राजस्थान राज्य के लिए विवाह के महारजिस्ट्रार नियुक्ति के सम्बन्ध में अधिसूचना	48
37.	विवाह रजिस्ट्रेशन हेतु राज्य सरकार के अधिकारियों को रजिस्ट्रार नियुक्त करने की अधिसूचना	49
38.	विवाह पंजीयन निरस्तीकरण के सम्बन्ध में गृह विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन	50
39.	क्रिश्चियन विवाहों के पंजीकरण के सम्बन्ध में	51
40.	विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में गृह विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन	52

उप शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र संख्या 16(1) सांख्यिकी 77 दिनांक 17.02.78 की प्रतिलिपि।

अधिसूचना

आर्थिक एक्ट 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 3 की उप धारा (2) के खण्ड (ख) एवं जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की धारा 13 की उप धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समस्त तहसीलदारों को उक्त अधिनियम के अधीन शपथ पत्र तस्दीक करने हेतु एतद् द्वारा प्राधिकृत करते है।

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

क्रमांकः– वीएस/डीईएस/I/72/102/8845–9283 दिनांक 03.03.78

प्रतिलिपि :–

1. समस्त जिला सांख्यिकी अधिकारी.. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समसत विकास अधिकारी (अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु) पंचायत समिति .... (जिला ....)
3. समसत आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी (रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु) नगरपरिषद/नगरपालिका . ... (जिला ....)

को भेजकर लेख है कि वो उक्त अधिनियम 1969 की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटरी पब्लिक के अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा तस्दीक किए गए शपथ पत्र के आधार पर ही जन्म मृत्यु की घटना को दर्ज कर सकते है।

–ह0–
निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, जयपुर।

क्रमांकः–13/1/(9)वी एस/डीईएस/98/28266–   दिनांकः– 16.09.2000

परिपत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1969(केन्द्रीय अधिनियम,1969 संख्या 18) की धारा–4 की उप धारा(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रकरण कार्य का निर्वहन करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख वर्णित क्षेत्रों के लिए जिला रजिस्ट्रार नियुक्त किया है। इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व में जारी समस्त आदेशों को निरस्त माना जावें।

1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा — सम्बन्धित नगर निगम का क्षेत्र
2– आयुक्त, नगर परिषद, अजमेर, ब्यावर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, बीकानेर, पाली, सीकर, उदयपुर, एवुं टोंक — सम्बन्धित नगर परिषद का क्षेत्र

–ह0–
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
जयपुर।

क्रमांकः– 13/1/(9)वीएस/डीईएस/98/28267–327   दिनांकः–16.09.2000

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– महारजिस्ट्रार, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, जीवनांक प्रभाव, पश्चिमी खण्ड–प्रथम, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066
2– समस्त अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर..
3– मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा,
4– आयुक्त नगरपरिषद, अजमेर, ब्यावर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, बीकानेर, पाली, सीकर, उदयपुर, टोंक।
5– सहायक शासन सचिव, आयोजना(ग्रुप–1) शासन सचिवालय, जयपुर।
6– जिला रजिस्ट्रार,(जन्म–मृत्यु) एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, बीकानेर, पाली, सीकर, उदयपुर, टोंक।

–ह0–
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
जयपुर।

सी–1/राकेश/

भाग–4 (ग)

उप–खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

(सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)

सामान्य कानूनी नियम।

सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 4, 2006

जी.एस.आर. 91– जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2005 है।

   (2) ये राज–पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 9 का संशोधन**:– राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9 में, विद्यमान अभिव्यक्तियों "दो रूपये", "पांच रूपये" या "दस रूपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक रूपया" प्रतिस्थापित की जायेगी।

–ह0–

संख्या एफ. 16 (1) स्टेट/2005

राज्यपाल के आदेश से,

वीनू गुप्ता,

शासन सचिव,

आयोजना विभाग।

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक. प.4(1) गृह–6/2006 जयपुर, दिनांक 5 अक्टूबर, 2006

परिपत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 व राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के तहत राज्य में प्रत्येक जन्म और मृत्यु की घटना का रजिस्ट्रीकरण करवाना कानून अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर अभित्यक्त पाये गये नवजात शिशु या शव के बारे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8 (ड़) के द्वारा स्थानीय पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर पर यह दायित्व डाला गया है कि वे ऐसे नवजात शिशु या शव की सूचना धारा 16 (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रजिस्ट्रार को दें। किन्तु जानकारी में आया है कि इस आज्ञापक विधिक प्रावधान की अपेक्षित पालना नही हो रही है।

जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस आवश्यक विधिक प्रावधान को पुनः दोहराते हुए निर्देशित किया जाता है कि सभी थाना प्रभारी उनके क्षेत्राधिकारिता में पाये नवजात शिशु एवं शव के बारे में वांछित सूचना धारा 16 (1) द्वारा विहित प्रारूप में निर्धारित अवधि में संबंधित रजिस्ट्रार को उपलब्ध करायेंगे।

—ह0—
(वी.एस. सिंह)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

(क) प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक, पुलिस विभाग, राज. जयपुर।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

(ख) प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
2. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

—ह0—
(एच.एस.भारद्वाज)
शासन उप सचिव, समन्वय

सं./No.1/20/09 जीवनांक–(सी.आर.एस.)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड–1 रामकृष्ण पुरम् नई दिल्ली–116600

V.S. Division, West Block-I, R.K. Puram, New Delhi-110066

तार : जनगणना/REGGENLIND Tele-Fax : 26104012 E-mail- drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

जयपुर दिनांक : 25.10.2006

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु,
तथा निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी,
राजस्थान, योजना भवन, नई हाई कोर्ट बिल्डिंग की पीछे,
तिलक मार्ग, सी–स्कीम
जयपुर–302005

विषयः– मृत्यु की घटना का पंजीयन मृतक के निवास स्थान पर करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन्म मृत्यु का पंजीकरण उक्त घटना के घटने के स्थान पर ही किया जाता है अर्थात जिस व्यक्ति की जिस स्थान पर मृत्यु हुई है, उसी स्थान पर उसकी मृत्यु का पंजीकरण किया जाएगा। अधिनियम में अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उक्त मृत्यु का पंजीकरण उसके पैतृक स्थान पर जहां दाह संस्कार किया गया हो, वहां कराया जा सके।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों में इस तरह का प्रावधान विचाराधीन है।

भवदीय,

–ह0–

(अजय खन्ना)

सहायक निदेशक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ13/1/(2)वीएस/डीईएस/98/4262 दिनांकः 1.2.99

महारजिस्ट्रार, भारत सरकार, नई दिल्ली ने पत्रांक 6/3/98–वीएस/सी.आर.एस. दिनांक 07.12.1998 के द्वारा सूचित किया है कि राज्य में कई जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार्स जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी करने में फीस वसूल करते हैं तथा जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रेशन हेतु सूचक द्वारा वांछित सूचनायें उपलब्ध कराने के पश्चात् भी जन्म एवं मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी करने में काफी समय लेते हैं, कुछ नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों एवं नगर निगमों में जन्म–मृत्यु के प्रमाण पत्र को प्रथम प्रति की फीस वसूल करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा–12 का खुला उल्लंघन है।

अतः राज्य के ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के समस्त रजिस्ट्रारों को निर्देशित किया जाता है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 के तहत राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1972 के नियम 5 के उप नियम–2 के अनुसार जिस जन्म या मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि 21 दिन के अन्दर रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त होती है, का जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी किया जाये। यदि कोई रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध एक्ट के तहत एवं विभागीय नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

–ह0–
एन.एल.खींची
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ13/1/(2)वीएस/डीईएस/98/4263–4517 दिनांकः 1.2.99

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महारजिस्ट्रार, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, 2–ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110001 को अधिक पत्रांक 6/3/98–वीएस (सी.आर.एस.) दिनांक 07.12.98 के सन्दर्भ में।
2. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर से अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र के समस्त रजिस्ट्रारों को उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित कराने हेतु समस्त अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार्स एवं विकास अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करें।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर से अनुरोध है कि शहरी क्षेत्र के रजिस्ट्रारों के उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद एवं नगरपालिका को दिशा–निर्देश जारी करें।
4. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला कलेक्टर्स।
6. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)
7. समस्त जिला रजिस्ट्रार्स एवं जिला सांख्यिकी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु आपके जिले के समस्त रजिस्ट्रारों को पाबन्द करें।

–ह0–
एन.एल.खींची
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ13/1/(3)वीएस/डीईएस/प्रस/16960–91 दिनांकः 21.5.99

प्रेषिति

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एवं सचिव,
जिला परिषद, समस्त

विषयः– जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में सरपंचों द्वारा जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। जबकि जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969 एवं जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1972 के तहत सरपंचों को ऐसा अधिकार नहीं दिया हुआ है। अतः सरपंच के द्वारा जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाना अधिनियम व नियमों का उल्लंघन है।

जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 कि धारा 7(1) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवक/ग्रुप सचिव/प्रधानाध्यापक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक को जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के कार्य हेतु रजिस्ट्रार नियुक्त किया हुआ है। अतः जिनको रजिस्ट्रार नियुक्त किया हुआ है। वे ही जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी कर सकते है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके जिले के समस्त सरपंचों को यह निर्देश जारी करें कि जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र अपने स्तर पर जारी न करें। यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे सरपंचों के विरूद्ध अधिनियम 1969 का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही कि जाए। आप द्वारा कि गई कार्यवाही से इस कार्यालय को शीघ्र अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय
–ह0–
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ13/1/(3)वीएस/डीईएस/प्रस/16992–17027 दिनांकः 21.5.99

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त।
2. जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला कलेक्ट्रेट, समस्त

–ह0–
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग
अधिसूचना

जयपुर, दिनांक 19.08.2010

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्द्वारा राजस्थान राज्य के भीतर जन्म प्रमाण–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए निष्पादित शपथपत्रों पर प्रभारित स्टाम्प शुल्क का इसके द्वारा परिहार करती हैं।

यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(प.5(21)वित्त / कर / 10–61)
राज्यपाल की आज्ञा से

–ह0–
(भवानी सिंह देथा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4(ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. प्रमुख सचिव मा. मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदय, राजस्थान।
3. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
4. महानिरीक्षण, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
5. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

–ह0–
शासन उप सचिव

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
तिलक मार्ग, योजना भवन, जयपुर

क्रमांक :– एफ 13/1/3/वीएस/डीईएस/2007/पार्ट–II/11493–525 दिनांक : 8.5.2012

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
जिला कलेक्टर, समस्त।

विषयः– जन्म/मृत्यु की एक वर्ष से अधिक विलम्बित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के संबंध में।

संदर्भः– भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली का पत्रांक 1/20/2002– जीवनांक (सी.आर.एस.) राज. दिनांक 5.11.2004

महोदय,

उपरोक्त विषतान्तर्गत निवेदन है कि रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक साल से अधिक पुरानी पंजीकृत जन्म/मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण किये जाने के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) एवं तत्सम्बन्धी राज्य नियम 7 के तहत जारी की जाने वाले आदेश में "बाद जाँच सही पाये जाने पर" "जाँच पश्चात्" इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रजिस्ट्रारों को कंडीशनल आर्डर/सशर्त आदेश अथवा अनिर्णयात्मक आदेश देते है और शपथपत्र को ही घटना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन मानते है, जबकि घटना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन किये जाने हेतु ही घटना का वर्णन कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।

इस संबंध में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है कि **"धारा 13(3) एवं इसके तहत संबंधित राज्य नियम में प्रावधान है कि जिस जन्म/मृत्यु की घटना का एक वर्ष के भीतर पंजीकरण नही हुआ है ऐसी घटनाओं का पंजीकरण, घटना की सत्यता के सत्यापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दिये आदेश पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही किया जाएगा। यद्यपि इसमें शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं बताई गई है तथापि इस संबंध में शपथ पत्र मात्र एक दस्तावेज है, जिसके माध्यम से शपथकर्ता शपथपूर्वक कहता है कि उसके द्वारा दी गई सूचना सत्य है। शपथ पत्र संबंधित सूचना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन नही है। ऐसे जन्म/मृत्यु की घटना को पंजीकृत किए जाने का आदेश दिए जाने से पूर्व इससे संबंधित सूचनाओं की शुद्धता/सत्यता के सत्यापन हेतु मजिस्ट्रेट किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकते हैं या उसी जांच कर/करवा सकते है। यह उनके अधिकार क्षेत्र में है। इसके लिए क्या दस्तावेज चाहिए या जांच का क्या तरीका अपनाया जाए यह सब संबंधित मजिस्ट्रेट पर निर्भर करेगा"।**

अतः कृपया आपके जिले की समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपरोक्तानुसार निर्दिष्ट कर पाबन्द करावें कि एक साल से अधिक पुरानी जन्म/मृत्यु की घटना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन करने के पश्चात् ही संबंधित रजिस्ट्रार को घटना का रजिस्ट्रेशन कर लेने के लिये निर्णयक एवं स्पष्ट आदेश देवें न कि कंडीशनल/सशर्त आदेश।

भवदीय

–ह0–

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

क्रमांक :– एफ 13/1/3/वीएस/डीईएस/2007/पार्ट–II/11526–568 दिनांक : 8.5.2012

प्रतिलिपिः– जिला सांख्यिकी अधिकारी, समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि सभी संबंधित को प्रति उपलब्ध करावें।

–ह0–

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांकः—प.13 / 1 / 38 / वीएस / डीईएस / 2012 / 29617 जयपुर, दिनांक 06.11.2012

परिपत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) और तत्संबंधी राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रकरण नियम,2000 के नियम 9(3) के तहत एक वर्ष से अधिक विलम्बित जन्म या मृत्यु की घटनाओं की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत करने के आदेश देने के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के द्वारा अधिकृत किया गया है। विभिन्न प्रकार के जारी होने वाले प्रमाण पत्रों के संबंध में आ रही कठिनाईयों एवं उनके सरलीकरण के लिये अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के संबंध में मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में दिनांक 05.07.2012 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले में तहसीलदार के पास कार्यभार अधिक होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3) के तहत विलम्बित पंजीयन के आदेश देने हेतु अधिकृत कर सकेगें।

—ह0—
(राकेश वर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः—प.13 / 1 / 38 / वीएस / डीईएस / 2012 / 29617 जयपुर, दिनांक 06.11.2012
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
2. समस्त जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु)।

—ह0—
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2014/744 दिनांकः 07.01.2015

परिपत्र

विषयः– आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं स्वअधिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–1) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ15(1)/एआर/जीआर–1 /2014 दिनांक 24.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2015 से आवेदक द्वारा सरकार एवं विभिन्न संगठनों में संचालित योजनाओं में आवेदन प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र की अनिवार्यता की समाप्ति एवं दस्तावेजों को स्वअधिप्रमाणित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 और तत्सम्बन्धी राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9 के तहत 30 दिवस से अधिक विलम्बित जन्म या मृत्यु की घटनाओं की सत्यता का सत्यापन करने के पश्चात रजिस्ट्रीकृत करने के आदेश देने के लिए विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से तथा नोटेरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष शपथित शपथ पत्र पेश किए जाने पर ही रजिस्ट्रीकरण करने का प्रावधान किया गया है। उक्त जारी परिपत्र के अनुसार किसी विद्यमान विधि या संविधि प्रावधानों में शपथ पत्र आवश्यक किया गया है तो उन प्रकरणों में सम्बन्धित विधि के अनुसार शपथ पत्र लिया जाना आवश्यक है, परन्तु जिन प्रकरणों में विधि या संविधि के प्रावधान में शपथ पत्र अनिवार्य नहीं है तो ऐसे प्रकरणों में शपथ पत्र के स्थान पर स्वघोषणा पत्र स्वीकार किया जावेगा एवं विभिन्न आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों की फोटो प्रतियां आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित की जायेगी।

अतः 30 दिवस से अधिक विलम्बित जन्म या मृत्यु की घटनाओं की सत्यता का सत्यापन करने के पश्चात रजिस्ट्रीकृत करने के आदेश देने के लिए विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा तथा नोटेरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष शपथित शपथ पत्र पेश किए जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत किये जाने की विधि यथावत जारी रहेगी एवं जन्म–मृत्यु पंजीकरण आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां स्वीकार्य होगी।

–ह0–
(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2014/745—1043 दिनांकः 07.01.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. उपमहारजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार कार्यालय, भारत सरकार, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड प्रथम, आर.के.पुरम, नई दिल्ली—110066
2. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6—बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर, समस्त।
5. उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम समस्त।
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को जिले के समस्त रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) को परिपत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु।
8. आयुक्त नगर परिषद, समस्त।
9. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका समस्त।
10. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति.......................... ....जिला.. को पंचायत समिति क्षेत्र के समस्त रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) को परिपत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराने हेतु।

—ह0—

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ13/1/12/वीएस/डीईएस/2014/3926 दिनांकः 23.01.2015

परिपत्र

विषयः– जन्म रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि के सम्बन्ध में।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 14 के तहत किसी बालक/बालिका के जन्म का पंजीकरण बिना नाम के किये जाने का प्रावधान है तथा बालक/बालिका के माता/पिता अथवा संरक्षक को यह सुविधा प्रदान की हुई है कि बालक/बालिका के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 12 माह में निःशुल्क तथा 15 वर्ष की अवधि के भीतर रूपये 5/– विलम्ब शुल्क के साथ बालक/बालिका का नाम जन्म रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में प्रविष्ट कराया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि यदि जन्म या मृत्यु रजिस्टर में कोई प्रविष्टि प्रारूपतः या सारतः गलत हो अथवा कपटपूर्वक या अनुचित तौर पर की गई है, तब ऐसी प्रविष्टियों को ठीक या रद्द किया जा सकता है।

प्रायः देखने में आया है कि बालक/बालिका का नाम उनके माता/पिता द्वारा जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि कराया जाता है तत्समय रजिस्ट्रार द्वारा सावधानियॉ नही बरती जाती है जिससे बाद में परेशानियों का सामना करना पडता है। अतः भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के पत्रांक 1/12/2014–वीएस(सीआरएस)/4171 दिनांक 29.12.2014 के अनुसार जन्म रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि के समय निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:–

1. यदि नवजात का पक्का नाम माता/पिता द्वारा नहीं रखा गया है तो ऐसी स्थिति में बालक/बालिका के जन्म रजिस्ट्रीकरण के समय घरेलू नाम (Nick name or Pat name) जैसे मुन्ना, मुन्नी, गुडिया, पप्पू, पप्पी इत्यादि दर्ज नही किया जावें।
2. यदि बालक/बालिका का पक्का नाम निश्चित नही किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण के समय नाम का कॉलम में डेश (–) अंकित कर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जावें।
3. यदि एक बार बालक/बालिका का नाम जन्म प्रमाण पत्र में अंकित कर दिया जायेगा तत्पश्चात् नाम में परिवर्तन नही किया जावेगा। अतः माता–पिता को बालक/बालिका का पक्का नाम निश्चित करने के पश्चात् ही नाम अंकित करने हेतु प्रोत्साहित किया जावें।
4. जन्म रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि करते समय उनके माता/पिता से आवेदन पत्र में बालक/बालिका का नाम बडे अक्षर (Capital letters) में लिखवाकर प्राप्त करें, जिससे वर्तनी सम्बन्धी त्रुटि की संभावना कम हो सकें।

5. यदि बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि जन्म प्रमाण पत्र में निश्चित समयावधि बाद दर्ज करवाई जाती है, तो अभिभावक से बालक/बालिका के अध्ययनरत स्कूल के रिकार्ड की मांग की जावें तथा रिकार्ड को प्रमाणित करवाया जावें।
6. जन्म रजिस्ट्रेशन में बालक/बालिका के नाम प्रविष्टि करते समय माता–पिता से एक स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जावे कि, भविष्य में बालक/बालिका के नाम में परिवर्तन/संशोधन नही करवायेंगे।
7. यह भी विदित है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार को प्राप्त जन्म/मृत्यु प्रतिवेदन के आधार पर जारी किये जाते है और प्रायः यह देखने में आया है कि संस्थानिक घटनाओं के प्रकरणों में संस्थाओं द्वारा जन्म/मृत्यु प्रतिवेदन में जो सूचना अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण सूचना भिजवा दी जाती है, तत्पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ही जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, जिसके कारण बाद में संशोधन हेतु अनेक प्रकरण प्राप्त होते है। इसी सन्दर्भ में भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, भारत सरकार के पत्रांक 1/12/2014–15–वीएस (सीआरएस)/3615 दिनांक 27.10.2014 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जन्म/मृत्यु प्रतिवेदन में त्रुटि की संभावना नही रहे, इस हेतु जन्म के प्रकरणों में नवजात की माँ के नजदीकी रिश्तेदार एवं मृत्यु के प्रकरणों में मृतक के नजदीकी रिश्तेदार से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कराये जावें साथ ही उनसे जन्म/मृत्यु प्रतिवेदन में भरी गई प्रविष्टियों की जाँच करा लेंवे।

राज्य के समस्त ग्रामीण/शहरी रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त व्यवस्था का आमजन में व्यापक प्रचार–प्रसार करें, जिससे कि जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में त्रुटि की संभावना को समाप्त किया जा सके।

–ह0–
(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ13/1/12/वीएस/डीईएस/2014/3927–4227 दिनांकः 23.01.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उपमहारजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार कार्यालय, भारत सरकार, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड प्रथम, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066
2. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर, समस्त।
5. उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम समस्त।
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को जिले के समस्त अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं विकास अधिकारी/रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को परिपत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु।
8. आयुक्त नगर परिषद, समस्त।
9. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका समस्त।

–ह0–

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/22519 दिनांक: 02.06.2015

परिपत्र

विषयः— डिजिटली हस्ताक्षरित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण—पत्र को अनुमान्य किये जाने बाबत्।

जन्म—मृत्यु पंजीयन कार्य को आमजन के लिए अधिक सुगम बनाने, कार्य में समरूपता लाने तथा कम्प्यूट्रीकृत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन्म—मृत्यु की घटनाओं का ऑनलाईन पंजीयन विभागीय वेबपोर्टल 'पहचान' पर प्रारम्भ किया जा चुका है। राज्य की अधिकांश पंजीयन ईकाईयों द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र Information Technology Act, 2000 के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 3 एवं संशोधित आई.टी. एक्ट, 2009 (Amended of Section 2 Act 2008)के बिन्दु संख्या— ई के अनुसार नेशनल ई—गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाओं को नागरिक सेवा केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी के माध्यम से जन सामान्य को चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाया जाना है। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा जन सामान्य को इस प्रयोजनार्थ पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी जिसमे सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी सभी प्रकार के मानक तरीकों (Hologram, Water Mark, Bar Code, etc.) का उपयोग करते हुए तैयार किये गये एवं डिजिटल हस्ताक्षरित (Digitally Signed)जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाये जाने का निर्णय लिया गया है।

इन प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर एवं पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी सभी प्रकार के मानक तरीकों (Hologram, Water Mark, Bar Code, etc.) के उपयोग को मान्यता (Recognition)प्रदान की जाती है।

जन्म—मृत्यु पंजीयन का कार्य ऑनलाईन होने तथा प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति में आमजन की ओर से जन्म—मृत्यु पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने तथा पंजीकरण पश्चात जन्म—मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कार्य ई—मित्र सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त सेवा के लिए प्रथम चरण में जयपुर शहरी क्षेत्र के रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार की अधिकारिता अन्तर्गत घटित जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं सम्बन्धी पंजीयन कार्य हेतु जयपुर शहरी क्षेत्र में कार्यरत ई—मित्र केन्द्रों को अधिकृत किया जाता है। ई—मित्र के माध्यम से जन्म—मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगीः—

1. आवेदक को ई—मित्र पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा।
2. ई—मित्र संचालक आवेदक से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर टोकन जारी करेगा।

3. ई–मित्र संचालक द्वारा टोकन जारी करने के पश्चात आवेदक द्वारा उक्त टोकन निरस्त नहीं कराया जा सकेगा।
4. ई–मित्र द्वारा आवेदक से स्वः अधिप्रमाणित पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर प्राप्त दस्तावेजों को स्केन कर आवेदन प्रपत्र की पूर्ति की जावेगी।
5. सभी दस्तावेजों को संकलित ईमेज के रूप में अपलोड किया जावे।
6. आवेदक द्वारा ई–मित्र पर आवेदन करने के पश्चात सम्बन्धित रजिस्ट्रार अपने लॉगिन से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा एवं दस्तावेजों की जांच पश्चात अधिकतम 3 दिवस मे डिजिटल हस्ताक्षरित जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा।
7. ई–मित्र संचालक द्वारा सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आवेदक को उपलब्ध कराया जावेगा।
8. आवेदक को निर्धारित प्रपत्र की पूर्ति उपरान्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण के सम्बन्ध में SMS Alert की सुविधा भी प्रदान की गई है।

उक्त आदेशों की पालना तुरन्त प्रभाव से की जावें।

–ह0–
(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांकः एफ13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/22519 दिनांकः 02.06.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, 2 ए, मानसिंह रोड़, नई दिल्ली – 110011 ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जिला..
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
5. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला................................

–ह0–
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

<u>आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/I/34381/2015 दिनांकः 03.07.2015

<u>परिपत्र</u>

प्रायः देखा गया है कि जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन /संशोधन एवं जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि संशोधन के सम्बन्ध में मार्गदशर्न मांगा जाता है। जैसा कि आपको विदित है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 में नाम परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 तथा तत्सम्बन्धी राज्य नियम, 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर यदि रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) उससे सन्तुष्ट है तब वह पहले से पंजीकृत घटना के विवरण में संशोधन कर सकता है तथा यह सुनिश्चित हो जाए कि सम्बन्धित रजिस्टर में कोई प्रविष्टि सारतः या प्ररूपतः गलत है अथवा कपटपूर्वक या अनुचित रूप से की गई है। फिर भी इस सम्बन्ध में भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त मार्गदर्शन की और आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि पहले से दर्ज की गई जन्म अथवा मृत्यु की किसी घटना में किसी व्यक्ति के नाम के पश्चात 'उर्फ' लगाने के सम्बन्ध में कहा गया है कि यदि रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये साक्ष्य से एवं इस बात से सन्तुष्ट हो कि सम्बन्धित प्रविष्टि अनुचित रूप से की गई तब मूल नाम के साथ 'उर्फ' लगाकर संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में तिथि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तथा बालक/बालिका की अंकतालिका को जन्म प्रमाण पत्र में तिथि परिवर्तन के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है।

यह भी देखने में आया है कि कुछ जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं स्वअधिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन मांगा जा रहा है जबकि उपर्युक्त दोनों विषयों पर इस निदेशालय के पत्र क्रमांक क्रमशः एफ13/1/12/वीएस/ डीईएस/2014/3926 दिनांक 23.01.2015 एवं क्रमांक एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2014/744 दिनांक 07.01.2015 के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश परिपत्र के माध्यम से जारी किये गये है, जो कि 'पहचान' वेबपोर्टल पर भी उपलब्ध है तथा भविष्य में भी जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सम्बन्धित मार्गदर्शन/परिपत्र 'पहचान' वेबपोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे।

अतः राज्य के समस्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को निर्देशित किया जाता है कि रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) से प्राप्त अभ्यावेदनों का निस्तारण उपरोक्तानुसार करेंगें तथा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का कार्य सम्पादित करते हुए इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें।

—ह0—
(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/I/34381/2015 दिनांकः 03.07.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2 ए, मानसिंह रोड़, नई दिल्ली – 110066।
2. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला कलेक्टर, जिला..
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जिला.....................................
4. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जिला......... ....को जिले के समस्त रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को परिपत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु।

–ह0–

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ13 / 1 / 39 / वीएस / डीईएस / 2013 / 43996 दिनांकः 12.01.2016

परिपत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 भारत में स्थानीय रजिस्ट्रार को उसके कार्य क्षेत्र में घटित होने वाली सभी जन्म–मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण का अधिकार देता है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत ग्राम सेवक पदेन सचिव को रजिस्ट्रार की शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 06.06.2013 के द्वारा राज्य के समस्त जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय सृर्जित कर ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी नियुक्त किये गये है। चूकि जन्म–मृत्यु पंजीकरण जनहित का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अतः जनसुविधा एवं कार्य के त्वरित निष्पादन को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय में कार्यरत ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को ब्लॉक में रजिस्ट्रीकरण कार्य के समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी घोषित किया जाता है।

जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य को आमजन के लिये अधिक सुगम बनाने, कार्य में समरूपता लाने तथा कम्प्यूट्रीकृत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से जन्म–मृत्यु की घटनाओं का ऑनलाईन पंजीयन विभागीय वेबपोर्टल 'पहचान' पर किया जा रहा है। इसी क्रम में जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य ऑनलाईन होने तथा प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति में आमजन की और से जन्म–मृत्यु पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने तथा पंजीकरण पश्चात जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने कार्य ई–मित्र सेवा केन्द्रो के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में किया जा रहा है। उक्त सेवा के माध्यम से e-sign / डिजिटली हस्ताक्षरित जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वेबपोर्टल 'पहचान' अन्तर्गत कम्प्यूट्रीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी उसके क्षेत्र की अधिकारिता अन्तर्गत रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) के पासवर्ड रिसेट (Passward Resat) करने, 'पहचान' वेबपोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर्ड कराने के उपरान्त इसका अनुमोदन एवं पंजीकृत घटनाओं में मार्गदर्शन के लिए अधिकृत किया जाता है।

अतः राज्य के समस्त ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं नियम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन का कार्य सम्पादित करते हुए इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें।

–ह0–
(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/43996 दिनांकः 12.01.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. उप महारजिस्ट्रार, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड—प्रथम, आर.के.पुरम, नई दिल्ली — 110066।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6—बी झालाना डूंगरी, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर समस्त।
6. जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला.....................................
7. उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8. जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को जिले के समस्त रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) को परिपत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु।
9. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति..................जिला.................................. को निर्देशित किया जाता है कि वह जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं नियम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्ववत कार्य करते रहेंगे।
10. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति...................................जिला..............................को पालनार्थ।

—ह0—

उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं
उप निदेशक (जीवनांक)

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13 / 1 / (12) / वीएस / डीईएस / 2013 / I/44848 / 2016 दिनांकः 01.02.2016

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप / सहायक निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला..........................

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णयानुसार एकल अभिभावक / अविवाहित माता की स्थिति में जन्म का रजिस्ट्रेशन

सन्दर्भः– भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय का पत्र दिनांक 31.12.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के सन्दर्भित पत्र में माननीय न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना में निर्देश दिए गए हैं कि एकल अभिभावक / अविवाहित माता की स्थिति में उनकी कोख (Womb) से जन्म ली गई संतान के जन्म प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन किए जाने पर मात्र उनके शपथ पत्र के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जावे, जब तक कि न्यायालय द्वारा इसके विपरीत कोई निर्देश नहीं दिए गए हों।

एकल अभिभावक / अविवाहित माता की स्थिति में जन्म रजिस्ट्रेशन को अस्वीकार नही किया जावेगा एवं जन्म रिकार्ड में एकल अभिभावक का नाम लिखा जावेगा तथा दूसरे अभिभावक का कॉलम खाली रखा जावेगा।

उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।

–ह0–
(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13 / 1 / (12) / वीएस / डीईएस / 2013 / I/44848 / 2016 दिनांकः 01.02.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महारजिस्ट्रार (सीआरएस), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय, वीएस डिवीजन, पश्चिमी खण्ड–1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066
2. संयुक्त निदेशक, सीआरएस, जनगणना कार्य निदेशालय, झालाना डूंगरी, जयुपर।
3. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर जिला.................................
4. उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जिला.............
5. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं विकास अधिकारी, जिला...................................पंचायत समिति.......................
6. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, जिला....................................पंचायत समिति.................................

–ह0–
अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/5/13/एनजी/वीएस/डीईएस/2015/76175/47034 दिनांकः 09.03.2016

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला....................

विषयः– ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को निरस्तीकरण प्रक्रिया का विकल्प देने बाबत्।

सन्दर्भः– निदेशालय के परिपत्र 43996 दिनांक 12.01.2016 एवं 46754 दिनांक 02.03.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि जनसुविधा एवं कार्य के त्वरित निष्पादन हेतु ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय में कार्यरत ब्लॉक सांख्यिकी और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया हुआ है साथ ही निरस्तीकरण (Cancellation) के अधिकार ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी को प्रदान किये गये है।

अतः ब्लॉक रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त प्रकरण पर सन्तुष्टि उपरान्त निरस्त की जाने वाली प्रविष्टियों के आदेश जारी कर 'पहचान' वेबपोर्टल पर विकल्प (Option) में आदेश नम्बर अंकित कर निरस्तीकरण किया जा सकता है।

भवदीय,

–ह0–
(डॉ.सुदेश कुमार)
उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप निदेशक (जीवनांक)

<u>आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः— एफ.13/1/3/ननिज/वीएस/डीईएस/2016/I/52877/2016 दिनांकः30.06.2016

जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं
आयुक्त,
नगर निगम.....................

विषयः— जन्म रिकॉर्ड में जन्म तिथि में संशोधन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार से ऐसे प्रकरण प्राप्त हो रहे है, जिसमें अभिभावक द्वारा संस्थानिक घटना होने के कारण जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि में संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है। यह देखने में आया है कि जन्म रिकार्ड में त्रुटियां अस्पताल के प्रभारी द्वारा अथवा सूचक द्वारा जन्म रिपोर्टिंग फार्म में लापरवाही से दर्ज करने के कारण होती है अथवा कई बार अभिभावक द्वारा शपथ पत्र के आधार पर बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जारी करवा लिये जाते है जबकि घटना संस्थानिक होती है। जन्म तिथि में शुद्धियों के आवेदन व्यक्तियों द्वारा तभी प्रस्तुत किये जाते है जब विद्यालय में प्रवेश देने, पासपोर्ट जारी करने इत्यादि के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते है।

भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के पत्र संख्या 1/12/2014—वीएस—(सीआरएस)/733 दिनांक 30.06.2015 के मार्गदर्शन अनुसार "जहां तक जन्म तिथि में शुद्धि का सम्बन्ध है यह स्पष्ट किया जाता है कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्टरों में प्रविष्टियां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और ये प्रविष्टियां जन्म अथवा मृत्यु जो भी हो, के तथ्य का निर्णायक साक्ष्य है। उपर्युक्त तथ्य को मध्यनजर रखते हुए, जन्म तिथि में शुद्धि की अनुमति नहीं होनी चाहिए, जब तक कि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि जन्म तिथि में घटना की रिपोर्टिंग/रजिस्ट्रीकरण के समय, पर एक कपटपूर्ण प्रविष्टि की गई थी।"

यदि संस्थानिक घटना होने पर रजिस्ट्रार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रमाणिकता से संतुष्ट हो जाता है तो वह जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) की स्वीकृति उपरान्त जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार करने के लिए अधिकृत है। यह उल्लेखनीय है कि जन्म अथवा मृत्यु की किसी भी प्रविष्टि में संशोधन अथवा निरस्त (Correction or Cancellation), जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 एवं तत्सम्बन्धी राज्य नियम, 2000 के नियम, 11 के अन्तर्गत किया जाता है जो कि सम्बन्धित रजिस्ट्रार की संतुष्टि पर निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में संशोधन की स्थिति में रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर में मूल प्रविष्टि को काटा नही जाता है तथा रिमार्क कॉलम में संशोधित प्रविष्टि दिनांक के साथ लिख दी जाती है तथा उसके आधार पर संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

अतः इस सम्बन्ध में सभी रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) को अनुपालना के लिए आवश्यक दिशा—निर्देश जारी करें। साथ ही रजिस्ट्रारों को जन्म रिकार्ड में नाम और जन्म तिथि में परिवर्तन की प्रथा को प्रोत्साहित न करने के लिए भी निर्देशित करें।

भवदीय,

—ह0—
(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

<u>आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः– एफ.13/1/3/ननिज/वीएस/डीईएस/2016/I/53199/2016 दिनांकः 05.07.2016

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला...

विषयः– जन्म/मृत्यु रिकॉर्ड में नाम में संशोधन बाबत्।

सन्दर्भः– निदेशालय पत्रांक 52678 दिनांक 30.06.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा जन्म/मृत्यु रिकार्ड में तिथि में संशोधन सम्बन्धित मार्गदर्शन प्रेषित किया गया है। इसी क्रम में लेख है कि अधिकांश जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार द्वारा जन्म/मृत्यु रिकार्ड में नाम परिवर्तन/संशोधन के सम्बन्ध में प्रकरण प्राप्त हो रहे है जबकि नाम परिवर्तन/संशोधन के सम्बन्ध में समय–समय पर मार्गदर्शन भिजवाया जाता रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राजस्थान जन्म–मृत्यु नियम, 2000 में नाम परिवर्तन का प्रावधान नहीं है, फिर भी नाम में परिवर्तन/संशोधन के सम्बन्ध में भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय में दोनों नामों के बीच 'उर्फ' लगाने की अनुमति प्रदान कर रखी है।

न्यायालय आदेशों अथवा वैयक्तिक आवेदनों के माध्यम से विभिन्न भागों से नाम परिवर्तन/संशोधन के सम्बन्ध में प्राप्त अनुरोध पर विचार करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नाम में परिवर्तन के अनुरोध पर रजिस्ट्रार द्वारा विचार किया जा सकता है, यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रमाणिकता से सतुष्ट हो जाता है तो वह जिला रजिस्ट्रार की स्वीकृती उपरान्त नाम में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार करने के लिए अधिकृत है। जहां तक सम्भव हो, सम्बन्धित रजिस्ट्रार नाम में परिवर्तन के सम्बन्ध में 'उर्फ' शब्द का प्रयोग करें और जन्म/मृत्यु रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टि करने के पश्चात् जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में दोनों नामों को लिखने का अधिमान दें। यदि आवेदक को 'उर्फ' स्वीकार्य न हो तो नाम में आवश्यक परिवर्तन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर रजिस्ट्रार की सतुष्टि पर किया जा सकता है। उक्त परिवर्तन करने के पश्चात् जन्म/मृत्यु रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज की जानी चाहिये और रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में शुद्धि की तिथि और दोनों नामों का उल्लेख किया जाना चाहिये।

यह उल्लेखनीय है कि नाम में परिवर्तन एक बार किये जाने के पश्चात् पुनः निषेध होगा और इस सम्बन्ध में आवेदक से एक शपथ पत्र लिया जावे की वह भविष्य में पुनः परिवर्तन/संशोधन नहीं करायेगा। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के दिये गये निर्देशों के अनुसरण में निदेशालय के पूर्व परिपत्र क्रमांक 3926 दिनांक 23.01.2015 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप यह भी आवश्यक है कि जन्म/मृत्यु प्रतिवेदन में त्रुटि की संभावना नही रहे, इस हेतु जन्म के प्रकरणों में नवजात की मां के नजदीकी रिश्तेदार एवं मृत्यु के प्रकरणों में मृतक के नजदीकी रिश्तेदार से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कराये जावें, साथ ही जन्म/मृत्यु प्रतिवेदन में भरी गई प्रविष्टियों की जांच करा ली जावे।

अतः इस सम्बन्ध में सभी रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को अनुपालना के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करें। रजिस्ट्रारों को जन्म/मृत्यु रिकार्ड में नाम में परिवर्तन की प्रथा को प्रोत्साहित न करने के लिए भी निर्देशित करें। साथ ही जन्म/मृत्यु रिकार्ड में परिवर्तन अन्तिम आश्रय के रूप में किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

–ह0–
(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

आवश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/ननिज/वीएस/डीईएस/2016/ दिनांकः

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार
(जन्म–मृत्यु) एवं
जिला कलक्टर
जिला.................................

विषयः– जन्म रिकार्ड में नाम परिवर्तन बाबत्।

सन्दर्भः– निदेशालय का पत्रांक 53199 दिनांक 05.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से जन्म रिकार्ड में नाम परिवर्तन हेतु मार्गदर्शन प्रेषित किया गया था कि रजिस्ट्रार द्वारा नाम में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है, यदि वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रमाणिकता से सन्तुष्ट हो जाता है तथा नाम में परिवर्तन एक बार किये जाने के पश्चात् पुनः निषेध होगा और इस सम्बन्ध में आवेदक से एक शपथ पत्र लिया जावे कि वह भविष्य में पुनः परिवर्तन नहीं करायेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में रजिस्ट्रार द्वारा नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि "**आवेदक को नाम परिवर्तन के सम्बंन्ध में गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण** करने पश्चात् रिकार्ड में केवल एक बार नाम में परिवर्तन रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा किया जा सकेगा"।

अतः जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 व राज्य नियम, 2000 के नियम की पालना करते हुए इस सम्बन्ध में सभी रजिस्ट्रार को अनुपालना के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करावें। साथ ही जन्म रिकार्ड में परिवर्तन अन्तिम आश्रय के रूप में किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

–ह0–
(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/1/3/ननिज/वीएस/डीईएस/2016/ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला.................................
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.................................

–ह0–
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

सं. / No.1 / 37 / 2004–जीवनांक–(सीआरएस)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
V.S. Division, West Block-I, R.K. Puram, New Delhi-110066
तार: जनगणना / REGGENLIND Tele-Fax : 26100678 E-mail&drg_crs@censusindia.gov.in

दिनांक 12.12.2006

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु
तथा निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
राजस्थान, योजना भवन,
नई हाईकोर्ट बिल्डिंग के पीछे,
तिलक मार्ग, सी स्कीम,
जयपुर–302005

विषयः–जन्म प्रमाण पत्र में माता के नाम के सामने सरनेम (उपनाम) लगाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13 / 1 / (3) / वीएस / डीईएस / 2004 / 32107, दिनांक 05.12.2006 का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपने पूर्व में जारी जन्म प्रमाणपत्र में माता के नाम में सरनेम (उपनाम) जोडने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 15 तथा तत्संबंधी राज्य नियम 11 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर यदि रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु उससे संतुष्ट है तो वह जन्म प्रमाण पत्र में आवश्यक संशोधन कर सकता है। इस संबंध में यदि चाहें तो आवेदक द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है।

इस तरह आप राजस्थान राज्य जन्म मृत्यु नियमावली, 2000 के नियम 11 (4) व (6) के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक संशोधन करते हुए संशोधित जन्म प्रमाणपत्र जारी कर सकते है।

भवदीय

–ह0–
(अजय खन्ना)
सहायक निदेशक

सं./No.1/2 /2007/(राज.)–जीवनांक–(सीआरएस)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

वी.एस. डिवीजन, पश्चिमी खण्ड–1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

V.S. Division, West Block-I, R.K. Puram, New Delhi-110066

तार: जनगणना/REGGENLIND Tele-Fax : 26100678 E-mail&drg_crs@censusindia.gov.in

दिनांक 05.01.2007

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु
तथा निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
राजस्थान, योजना भवन,
नई हाई कोर्ट बिल्डिंग के पीछे,
तिलक मार्ग, सी स्कीम,
जयपुर–302005

विषयः– जन्म प्रतिवेदन प्रपत्र संख्या–1, मृत्यु प्रतिवेदन प्रपत्र संख्या–2 एवं मृत जन्म प्रतिवेदन प्रपत्र संख्या–3 के सांख्यिकी भाग का निस्तारण बाबत।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13/(5)/(16)/वीएस/डीईएस/31686, दिनांक 28.11.06 का अवलोकन करे। उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि किसी भी वर्ष के जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के सूचना प्रपत्र के सांख्यिकी भाग को उस वर्ष की सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित होने के 5 वर्षो के उपरांत ही नष्ट किया जा सकता है।

भवदीय

–ह0–
(अजय खन्ना)
सहायक निदेशक
जनगणना कार्य

सं./No.1/2 /2007/(राज.)–जीवनांक–(सीआरएस)
भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय/MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
वी.एस. डिवीजन, पश्चिमी खण्ड–1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066
V.S. Division, West Block-I, R.K. Puram, New Delhi-110066
दूरभाष–फैक्स/Tele-Fax NO. 26100678 E-mail-drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक – 16.02.2012

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवम् मृत्यु,
तथा निदेशक, आर्थिक एवम् सांख्यिकी,
राजस्थान, योजना भवन,
नई हाईकोर्ट बिल्डिंग के पीछे,
तिलक मार्ग, सी–स्कीम,
जयपुर–302005

विषयः– वर्ष 1860 के समकालीन वर्षो में मृत्यु होने पर शपथ पत्र एवम् मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में मार्गदर्शन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13/1/3/डी–1/वीएस/डीईएस/2012/3043, दिनांक 02.02.2012 के संदर्भ लें। इस संबंध में कोई कारवाई करने से पूर्व आपका ध्यान निम्न बिंदूओं की ओर आकर्षित किया जाता हैः–

(क) जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी घटना का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, चाहे वह कितनी ही पुरानी क्यों न हो, चाहे वह जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यान्वयन से पूर्व की हो।

(ख) चूंकि सभी घटनाएं (एक को छोडकर) अधिनियम से पूर्व की है इसलिए कोई भी घटना संभवतः पंजीकृत नही हुई होगी, अतः यदि आवेदक सहमत हो तो उन्हें सभी संबंधित घटनाओं के अनुपलब्धता प्रमाणपत्र जारी किए जा सकते है।

(ग) हमारे कार्यालय में ऐसे पुराने मामलों के संबंध में इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी किया जाता है कि 'जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यान्वयन के पूर्व, जो कि 01.04.1970 से देश में लागू हुआ था, भारत में जन्म–मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नही था।' इस आशय का प्रमाणपत्र राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा जारी किया जा सकता है, जिससे कि संभवतः आवेदक की संतुष्टि हो सके।

(घ) यदि उक्त तीनों विकल्प नही अपनाए जा सकते तो इस संबंध में यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि किसी भी जन्म/मृत्यु की घटना के विलंबित पंजीकरण हेतु किस तरह की प्रक्रिया अपनाएं। इसके लिए हरियाणा व पंजाब सरकार ने पुराने मामलों के रजिस्ट्रीकरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई हैः–

- तीन वर्षो का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र।
- सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा जांच रिपोर्ट
- निवास स्थान का सबूत एवम् जन्म अथवा मृत्यु तिथि का सबूत।

उपरोक्त बिन्दुओं में से जो भी उचित लगे उस पर कार्रवाई की जा सकती है।

भवदीया,
–ह–
(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सी.आर.एस.)

सं./No.1/7/201 1–जीवनांक–(सीआरएस)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड–1 रामकृष्ण पुरम् नई दिल्ली–116600

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block-I, R.K. Puram, New Delhi-110066

Tele-Fax : 26104012 E-mail- drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक 12.03.2012

परिपत्र

विषयः– गोद लिए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने परिवर्तन करने की प्रकिया के संबंध में दिशा–निर्देश जारी करना।

जैसा कि आपको विदित ही है कि जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम 1969 की परिधि के अंतर्गत किया जाता है। अब तक गोद लिए गए बच्चों के जन्म के रजिस्ट्रीकरण के मुद्दे पर 1999 में भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर कारवाई की जा रही है। सम्पूर्ण प्रक्रिया के साथ विषयनिष्ठा को जोडने और किए गए परिवर्तनों के साथ समानता बनाए रखने के उद्देश्य के लिए इस विषय पर पुनः ध्यान देने की आकस्मिक आवश्यकता महसूस की गई है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में मौजूदा जन्म सूचना प्रपत्र के पैटर्न पर नया जन्म सूचना प्रपत्र (1क) नामतः 'गोद लिए गए बच्चे के लिए जन्म रिपोर्ट' लागू करने का निर्णय लिया गया हैं नए प्रपत्र में दो भाग नामतः विधिक और सांख्यिकीय भाग भी शामिल है। उपर्युक्त प्रपत्र संस्थान अथवा अन्यथा दोनों के माध्यम से गोद लेने के लिए लागू होगा। गोद लिए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने/परिवर्तन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

1. संस्थानों के माध्यम से गोद लिए गए बच्चे

संस्थानों के माध्यम से गोद लेने के संबंध में हो सकता है कि अभिभावकों के ब्योरों का पता हो अथवा न हो और बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण हुआ हो अथवा न हुआ हो। दोनों मामलों अर्थात् जन्म का रजिस्ट्रीकरण हो चुका हो अथवा न हो। दोनों मामलों अर्थात् जन्म का रजिस्ट्रीकरण हो चुका हो अथवा अभी तक न किया गया हो, दोनों की प्रक्रिया अलग होगी।

(i) जन्म का रजिस्ट्रीकरण नही किया गया हो तथा अभिभावक का नाम मालूम हो :

(क) यदि गोद लिए गए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो उस मामले में जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थित है उसी स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाएगा। बच्चे की जन्म तिथि का पता न होने की स्थिति में सी.एम.ओ. अथवा किसी विधिवत लाइसेंसशुदा फिजीशियन द्वारा निर्धारित और स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तक आदेश/विलेख में बताई गई तिथि को जन्म सूचना प्रपत्र में बच्चे की जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा। जन्म तिथि के अलावा, दत्तक अभिभावक का नाम तथा दत्तक अभिभावक का पता जैसा कि दत्तक ओदश/विलेख में अंतर्विष्ट है, के आदेश की संख्या और तारीख सहित जन्म सूचना प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा। जन्म सूचना प्रपत्र में अभिभावक का नाम भी दर्ज किया जाएगा।

(ख) उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार जहां दत्तक एजेंसी स्थित है, दत्तक विलेख तथा विधिवत भरे हुए जन्म सूचना प्रपत्र के आधार पर जन्म दर्ज करेगा और दत्तक अभिभावक के नाम सहित जन्म प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(ii) जन्म का रजिस्ट्रीकरण नही किया गया हो तथा अभिभावक का नाम मालूम नहीं हो–

(क) यदि गोद लिए गए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो उस मामले में जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थित है उसी स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाएगा। बच्चे की जन्म तिथि का पता न होने की स्थिति में सी.एम.ओ. अथवा किसी विधिवत लाइसेंसशुदा फिजीशियन द्वारा निर्धारित और स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तक आदेश/विलेख में बताई गई तिथि को जन्म सूचना प्रपत्र में बच्चे की जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा। जन्म तिथि के अलावा, दत्तक अभिभावक का नाम तथा दत्तक अभिभावक का पता जैसा कि दत्तक आदेश/विलेख में अंतर्विष्ट है, को आदेश की संख्या और तारीख सहित जन्म सूचना प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा। जन्म सूचना प्रपत्र में अभिभावक के नाम से संबंधित कालम खाली रहेगा।

(ख) उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार जहां दत्तक एजेंसी स्थित है, दत्तक विलेख तथा विधिवत भरे हुए जन्म सूचना प्रपत्र के आधार पर जन्म दर्ज करेगा और दत्तक अभिभावक के नाम सहित जन्म प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(iii) **जन्म का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो–**

(क) जन्म को रजिस्ट्रीकृत केवल तभी माना जाएगा जब मूल जन्म प्रमाण पत्र या उसकी प्रति संलग्न की गई हो। मूल जन्म प्रमाण पत्र में यथा उल्लेखित जन्म स्थान और जन्म तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा उसमें दी गई जानकारी वहीं रहेगी। तथापि दत्तक आदेश/विलेख में विहित ब्योरों के आधार पर उस रजिस्ट्रार द्वारा जहां जन्म का मूल रूप में रजिस्ट्रीकरण हुआ है, बच्चे के नाम, दत्तक अभिभावक के नाम और दत्तक अभिभावक के पते में अपेक्षित परिवर्तन किया जाएगा।

(ख) सम्पूर्ण प्रक्रिया को सुलभ बनाने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार जिसके क्षेत्राधिकार में दत्तक एजेन्सी स्थिति है, विधिवत भरा हुआ जन्म सूचना प्रपत्र दत्तक आदेश/विलेख सहित तथा मूल जन्म प्रमाण पत्र की प्रति उस रजिस्ट्रार को भेजेगा जहां जन्म का मूल रूप से रजिस्ट्रीकरण किया गया हो रजिस्ट्रार जन्म के रिकार्डो में बच्चे के नाम, दत्तक अभिभावक के नाम तथा दत्तक अभिभावक के पते में परिवर्तन करने का भी अनुरोध करेगा तथा दत्तक अभिभावक को उपलब्ध कराए जाने के लिए संशोधित जन्म प्रमाण पत्र उसे भेजेगा।

2. संस्थाओं से बहार गोद लिए गए बच्चे

संस्थाओं के माध्यम से गोद लिए जाने के अतिरिक्त अनेक बच्चों को संबंधियों/परिचितों द्वारा गोद लिया जाता है। ऐसे मामले में भी यह हो सकता है कि बच्चे का जन्म रजिस्ट्रीकृत हो अथवा न हो। इन दोनों ही मामलों अर्थात् जन्म का रजिस्ट्रीकरण पहले ही हो चुका है अथवा रजिस्ट्रीकरण अभी नहीं हुआ है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तथा अभिभावक का नाम मालूम है–

(क) यदि गोद लिए गए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण नही किया गया है तो उस मामले में जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थित है उसी स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाएगा। बच्चे की जन्म तिथि का पता न होने की स्थिति मतें सी.एम.ओ. अथवा किसी विधिवत लाइसेंसशुदा फिजीशियन द्वारा निर्धारित और स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तक आदेश/विलखे में बताई गई तिथि को जन्म सूचना प्रपत्र में बच्चे की जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा। जन्म तिथि के अलावा, दत्तक अभिभावक का नाम तथा दत्तक अभिभावक का पता जैसा कि दत्तक आदेश/विलेख में अंतर्विष्ट है, के आदेश की संख्या और तारीख सहित जन्म सूचना प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा। जन्म सूचना प्रपत्र में अभिभावक का नाम भी दर्ज किया जाएगा।

(ख) उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार जहां दत्तक ग्रहण किया गया है, दत्तक विलेख तथा विधिवत भरे हुए जन्म सूचना प्रपत्र के आधार पर जन्म दर्ज करेगा और दत्तक अभिभावक के नाम सहित जन्म प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(ii) जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया हो तथा अभिभावक का नाम मालूम नहीं हो–

(क) यदि गोद लिए गए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो उस मामले में जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण एजेन्सी स्थित है उसी स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाएगा। बच्चे की जन्म तिथि का पता न होने की स्थिति में सी.एम.ओ. अथवा किसी विधिवत लाइसेंसशुदा फिजीशियन द्वारा निर्धारित और स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तक आदेश/विलेख में बताई गई तिथि को जन्म सूचना प्रपत्र में बच्चे की जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा। जन्म तिथि के अलावा, दत्तक अभिभावक का नाम तथा दत्तक अभिभावक का पता जैसा कि दत्तक आदेश/विलेख में अंतर्विष्ट है, को आदेश की संख्या और तारीख सहित जन्म सूचना प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा। जन्म सूचना प्रपत्र में अभिभावक के नाम से संबंधित कालम खाली रहेगा।

(ख) उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार जहां दत्तक ग्रहण किया गया है, दत्तक विलेख तथा विधिवत भरे हुए जन्म सूचना प्रपत्र के आधार पर जन्म दर्ज करेगा और दत्तक अभिभावक के नाम सहित जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(iii) जन्म का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो–

(क) जन्म को रजिस्ट्रीकृत केवल तभी माना जाएगा जब मूल जन्म प्रमाण पत्र या उसकी प्रति संलग्न की गई हो। मूल जन्म प्रमाण पत्र में यथा उल्लेखित जन्म स्थान और जन्म तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा उसमें दी गई जानकारी वहीं रहेगी। तथापि दत्तक आदेश/विलेख में विहित ब्योरों के आधार पर उस रजिस्ट्रार द्वारा जहां जन्म का मूल रूप में रजिस्ट्रीकरण हुआ है, बच्चे के नाम, दत्तक अभिभावक के नाम और दत्तक अभिभावक के पते में अपेक्षित परिवर्तन किया जाएगा।

(ख) यदि दत्तक आदेश किसी ऐसे स्थान से जारी किया जाता है जो कि उस स्थान से भिन्न है जहां जन्म का वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकरण किया गया है, तो दत्तक अभिभावक उस रजिस्ट्रार से सम्पर्क करेंगे जिसके अधिकार क्षेत्र में दत्तक आदेश जारी किया गया है। वह रजिस्ट्रार दत्तक आदेश/विलेख और मूल जन्म प्रमाणपत्र की प्रति सहित विधिवत भरे गए जन्म सूचना प्रपत्र को

उस रजिस्ट्रार के पास भेजेगा जहां जन्म का मूल रूप से रजिस्ट्रीकरण किया गया था। रजिस्ट्रार जन्म संबंधी रिकार्डो में बच्चे के नाम, दत्तक अभिभावक के नाम, दत्तक अभिभावक के पते में परिवर्तन करने का अनुरोध करेगा तथा दत्तक अभिभावक को उपलब्ध कराए जाने के लिए संशोधित जन्म प्रमाणपत्र उसे भेजेगा।

3. जन्म सूचना प्रपत्र में प्रविष्टियां/जन्म रिकार्ड में परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

(क) 'दत्तक अभिभावक' अथवा 'दत्तक बच्चा' शब्द का प्रयोग जन्म प्रमाणपत्र में नहीं किया जाएगा। जन्म प्रमाणपत्र में दत्तक अभिभावक का नाम 'अभिभावक' (बच्चे के पिता और माता) के रूप में होना चाहिए। जन्म प्रमाणपत्र में 'दत्तक अभिभावक का पता' 'बच्चे के जन्म के समय अभिभावक का पता' के रूप में रिकार्ड किया जाएगा।

(ख) पहले ही रजिस्ट्रीकरण किए जा चुके जन्मों के मामले में रजिस्ट्रार किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जन्म रजिस्टर के अभ्युक्ति कालम में उपयुक्त प्रविष्टयां करेगा।

(ग) जन्म सूचना प्रपत्र के विधिक हिस्से को जन्म रजिस्टर (फार्म सं. 7) माना जाएगा। सांख्यिकी हिस्से को अलग कर लिया जाएगा और जन्म संबंधी मासिक रिपोर्ट सार (फार्म सं. 11) सहित संकलन के लिए इसे निर्धारित प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा।

(घ) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 के अंतर्गत निर्धारित किए गए प्रावधान अनुसार विलम्बित रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान इन मामलों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि मजिस्ट्रेट द्वारा दत्तक विलेख/आदेश के रूप में न्यायिक संकल्प पहले ही जारी किया जा चुका है।

4. फार्म 1–ए संबंधित राज्य नियमावली का हिस्सा होगा तथा नियम 5(1) को संशोधित करने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 30 (1) के अंतर्गत एतद्द्वारा केन्द्र सरकार की आवश्यक अनुमति प्रदान की जाती है। धारा 8 के अन्तर्गत मौजूदा नियम 5(1) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5(1) जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिए फार्म आदि..

रजिस्ट्रार को यथास्थिति धारा 8 या धारा 9 के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित सूचना जन्म, **दत्तक बच्चे का जन्म,** मृत्यु और मृत जन्म के पंजीकरण के लिए क्रमशः सं. 1, 1–क, 2 और 3, जिन्हे इससे आगे सामूहिक रूप से प्रतिवेदन प्रपत्र (रिपोर्टिंग फार्म) कहा जाएगा, में दी जाएगी। यदि सूचना मौखिक रूप में दी जाती है, तो रजिस्ट्रार द्वारा उपयुक्त प्रतिवेदन प्रपत्रों में उसकी प्रविष्टि की जाएगी और सूचनादाता के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा।

5. ये निर्देश जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आर बी डी) अधिनियम,1969 की धारा 3(3) के तहत जारी किए रहे है। ये दिशा निर्देश पूर्ववर्ती दिशा निर्देशों को निरस्त करेंगे और तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

6. आपसे अनुरोध है कि इस प्रणाली में नए प्रपत्र को समाहित करने के लिए उपर्युक्त नियम में संशोधन कर इन दिशा–निर्देशों को कार्यान्वित करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि इनके सख्त अनुपालन के लिए सभी पंजीकरण अधिकारियों को निम्नतम स्तर के स्थानीय पंजीयक, (जन्म और मृत्यु) के स्तर के पदानुक्रम तक आवश्यक निर्देश जारी करें। संशोधित नियम की अधिसूचना की एक प्रति के साथ ही प्राधिकारियों को जारी निर्देशों की प्रति इस कार्यालय को भी रिकार्ड के लिए भेजी जाए।

—ह0—
(डा. च. चन्द्रमौलि)
भारत के महारजिस्ट्रार

अनुलग्नक : दत्तक बच्चे का जन्म सूचना प्रपत्र (1—क)

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रार/अपर/उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)।

सं./No.1/7/2011—जीवनांक (सी.आर.एस) **दिनांक 17.4.2012**

उपरोक्त परिपत्र का हिंदी रूपान्तर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रार/अपर/उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) को आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

—ह0—
(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सी.आर.एस)

सं./No.1/2 राज./2012–जीवनांक–(सीआरएस)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड–1 रामकृष्ण पुरम् नई दिल्ली–116600
V.S. Division, West Block-I, R.K. Puram, New Delhi-110066
दूरभाष–फैक्स/Tele-Fax : 26104012 E-mail- drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक 03.05.2012

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु
तथा निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
राजस्थान, योजना भवन,
नई हाई कोर्ट बिल्डिंग के पीछे,
तिलक मार्ग, सी स्कीम,
जयपुर–302005

विषयः– उर्फ नाम अंकित कर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में मार्गदर्शन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13/1/3/डी–1//वीएस/डीईएस/2006/9131, दिनांक 12.04.2012 का संदर्भ ले। इस संबंध में सूचित किया जाता हैं कि इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी स्पष्टीकरण में जन्म या मृत्यु की किसी भी घटना के रजिस्ट्रीकरण के समय अथवा उसके रजिस्ट्रीकरण के बाद नाम के साथ उर्फ लगाने का सुझाव दिया गया था। जबकि आप द्वारा भेजे गए मामले में उर्फ के साथ 3 नाम लगाए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि पत्र के साथ भेजे गए अन्य दस्तावेजों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी दस्तावेज में एक से अधिक नामों का उल्लेख नही किया गया है। हर दस्तावेज में भिन्न–भिन्न नाम ही लिखा हुआ है। साथ ही मृतक के पुत्र व पत्नी के वोटर कार्ड में भी पिता/पति का नाम तिल्ला राम (TILLA RAM) ही लिखा हुआ है। अतः आवेदक चाहे तो इस नाम के साथ उर्फ लगाकर एक अन्य नाम (तिलोकराम अथवा तिलजी या त्रिलोकराम में से एक) मृत्यु प्रमाणपत्र में अंकित करवा सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आवेदक को मृतक के एक नाम के साथ उर्फ लगाकर एक अन्य नाम अंकित कर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाए।

भवदीया,

–ह0–
(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रार

स./NO - 1/2/राज./2012–जीवनांक(सी.आर.एस.)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग,पश्चिमी खण्ड–1,रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली – 110066
V.S.Division,West Block-1,R.K.Puram,New Delhi- 110066
दूरभाषा–फैक्स / Tele-fax.No. 26104012 E-mail –drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक 12–07–2012

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवम् मृत्यु,
तथा निदेशक, आर्थिक एवम् सांख्यिकी,
राजस्थान,योजना भवन,
नई हाईकोर्ट बिल्डिंग के पीछे,
तिलक मार्ग, सी स्कीम,
जयपुर – 302005

विषयः– जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे के पिता का नाम हटाने हेतु मार्गदर्शन भिजवाने हेतु।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ13/1/3/ वीएस/डीईएस/2012/14301, दिनांक 8–6–2012 का संदर्भ लें। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों में ऐसी काई व्यवस्था नहीं है जिसके अंतर्गत पहले से दर्ज जन्म अथवा मृत्यु रिकार्ड में पिता के नाम को हटा दिया जाए। इसी के साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संदर्भ पुस्तिका में दिए गए एक स्पष्टीकरण में यह स्पष्टतया लिखा हुआ है कि जन्म मत्यु रजिस्टरों की प्रविष्टियां सार्वजनिक दस्तावेज है तथा यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के अधीन साक्ष्य के रूप में वैध है तथापि ये प्रविष्यिां केवल जन्म या मृत्यु, जो भी हो, का ही निर्णायक साक्ष्य होती है।

2. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने के कारण पहले से दर्ज पिता के नाम को नही बदला जा सकता।

भवदीया,

–ह0–
(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रा (सी.आर.एस.)

स./8/4/2011–जीवनांक(सी.र.प्र.)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग,पश्चिमी खण्ड–1,रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली – 110066
V.S.Division,West Block-1,R.K.Puram,New Delhi- 110066
दूरभाष–फैक्स / Tele-fax.No. 26104012 E-mail –drg.crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक 22.10.2012

सेवा में,

सभी मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवम् मृत्यु,

विषयः गुमशुदा व्यक्ति के मृत्यु के स्थान के निर्धारण संबंधी स्पष्टीकरण।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 का अवलोकन करें जिसके द्वारा गुमशुदा व्यक्ति के मामले में न्यायालय के आदेश में मृत्यु की तारीख का उल्लेख न होने की स्थिति में मृत्यु की तारीख के निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया था।

2. इस स्पष्टीकरण के प्रत्युतर में कुछ राज्य सरकारों ने न्यायालय के आदेश में मृत्यु के स्थान का उल्लेख न होने की स्थिति में मृत्यु के स्थान के निर्धारण के संबंध में कतिपय जानकारी मांगी थी। उपर्युक्त के आलोक में इस कार्यालय द्वारा इस मामले को परामर्श के लिए पुनः केन्द्रीय विधि मंत्रालय को भेजा गया। मंत्रालय ने परामर्श दिया कि:

जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) में प्रावधान है कि ऐसे मामलों में मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण केवल सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा ही किया जाएगा और मृत्यु की तारीख वह होगी जिस तारीख को वादी न्यायालय में गया तो ऐसे में यह उपयुक्त होगा कि मृत्यु का स्थान वह स्थान हो सकता है जहां वादी न्यायालय में गया। अस्पष्टता के मामले में न्यायालय से ही उपयुक्त स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है।

3. यह पत्र इस कार्यालय के दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 के समसंख्यक पत्र के अनुक्रम में इस अनुरोध के साथ जारी किया जा रहा है कि इस पत्र के विषय से सभी जिला और स्थानीय स्तर के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को अवगत करा दें ताकि वे गुम हुए व्यक्ति की मृत्यु दर्ज कर सकें। इस संबंध में की गई कार्रवाई में एवम् इस संबंध में जारी किए गए अनुदेश की प्रति से इस कार्यालय को अवगत कराएं।

भवदीय,

–ह0–
(अजय खन्ना)
उप निदेशक (सी.आर.एस.)

No.1 / 12 / 2014 / –वीएस–(सीआरएस)–361
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
वी.एस. डिवीजन, पश्चिमी खण्ड–1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066
V.S. Division, West Block-I, R.K. Puram, New Delhi-110066
Tele-Fax : 26104012 E-mail- drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

Dated: 15-05-2015

To,

All Chief Registrar of Birth & Deaths

Sub:- Clarification on making/changing entries in birth record of Children taken on adoption.

Sir,

Please refer this office latter of even number dated 12th March, 2012 vide which instruction were issued on framing the procedure for making/changing entries in birth record of children taken on adoption. Later on, taken into consideration the 2011 CARA guidelines, a clarification was issued by this office latter of even number dated 25th August, 2014 through which submission of adoption deed and adoption order (both) has been made mandatory for registration of birth of children taken on adoption and issue of birth certificate to them.

In response to the aforesaid clarification, this office has received certain queries on submission of adoption order and adoption deed in respect of non-institutional adoptions. In this regard, it has been quoted that non institutional adoptions are taken place under the provision of "Hindu adoption and Maintenance (HAMA) Act, 1956" and under Section 16 of this Act; the need for production of adoption deed i.e document registered under any law and signed by both parties is sufficient. In this regard, the authenticity of the adoption deed would have to be checked only with the criteria prescribed under the HAMA Act.

In order to address the difficulties in producing the adoption order by general public in case of adoption within relatives/ acquaintances, the matter has been reviewed and also discussed with the Central Adoption Resource Authority (CARA) of Ministry of Women & Child Development. Accordingly, it has been decided that for in country non-institutional adoptions took place within relations or acquaintances, registered adoption deed is enough, there would be no need to produce adoption order of a court for such cases.

However, before registering or making corrections in the birth record, the correctness of the adoption deed should be verified by the Registrar of births and deaths and if adoption deed is found to be valid duly registered before the Sub Registrar authorized by the State Government, the concern Registrar should make necessary changes in the birth record on the basis of the information given in the adoption deed and insert the name of adoptive parents and child and issue the birth certificate of the adopted child. Further, it is also clarified that in case of non-institutional event, if a adopted child is more than one year old and his/ her birth is not-found registered earlier then as per the prescribed procedure of section 13(3) of the Registration of Births and Deaths (RBD) Act 1969 an order of local Magistrate under the Delayed registration provision should also be obtained before registering the said event.

In view of the above facts and taken into consideration the difficulties faced by the public in getting the birth certificate of adopted children, you are requested to direct the aforesaid contents to the concerned authorities and direct them to issue the birth certificate of adopted children on priority basis and ensure that desired birth certificate should be issued within 7 to 10 days from the date of submission of documents by the adoptive parents to the concerned Registrar. This office may be appraised about the action taken in this regard.

Yours faithfully

-SD-
(P.A. Mini)
Deputy Registrar General (CRS)

स./1/12/2014–वीएस– (सीआरएस)/773
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
जीवनांक प्रभाग,पश्चिमी खण्ड–1,आर.के. पुरम्, नई दिल्ली – 110066
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
V.S.Division,West Block-1,R.K.Puram,New Delhi- 110066
दूरभाष– 26104012 ई–मेल –drg.crs.rgi@censusindia.gov.in rkgautamiss.rgi@nic.in

दिनांक 30.06.2015

सेवा में,

सभी मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवम् मृत्यु

विषयः जन्म रिकार्ड में बच्चे के नाम और जन्मतिथि में शुद्धि करने के लिए मांगा गया स्पष्टीकरण।

महोदय,

इस कार्यालय में जन्म रिकार्ड में बच्चे के नाम और जन्मतिथि में परिवर्तन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कई राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि विगत में संघीय विधि मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर (जो नागरिक पंजीकरण की पुस्तिका में प्रकाशित किया गया था) रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में नाम के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। फिर भी, नाम में परिवर्तन के संबंध में, विधि मंत्रालय ने दोनो नामों के बीच 'उर्फ' लगाने की अनुमति दे रखी है। यह प्रक्रिया काफी राज्यों में अपनाई गई है।

2. इस संबंध में न्यायालय आदेशों अथवा वैयक्तिक आवेदनों के माध्यम से विभिन्न भागों से प्राप्त अनुरोध पर विचार करते हुए, यह देखने में आया है कि जन्म रिकार्ड में नाम में गलतियां, हस्पताल के अधिकारियों द्वारा अथवा सूचक द्वारा जन्म रिपोर्टिंग फार्म में लापरवाही से दर्ज करने के कारण होती हैं। नाम में शुद्धियों के आवेदन व्यक्तियों द्वारा तब ही प्रस्तुत किए जाते हैं जब विद्यालय में प्रवेश लेने, पासपोर्ट जारी करने इत्यादि के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। सही नामों के साथ जन्म प्रमाणपत्रों की मांगो पर विचार करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि नाम में परिवर्तन के अनुरोध पर रजिस्ट्रार द्वारा विचार किया जा सकता है यदि रजिस्ट्रार आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता से संतुष्ट हो जाता/जाती है तो वह नाम में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार करने के लिए अधिकृत है। जहॉ तक सम्भव हो, संबंधित रजिस्ट्रार नाम में परिवर्तन के संबंध में 'उर्फ' शब्द का प्रयोग करे और जन्म रजिस्ट्रर के टिप्पणी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टि करने के

पश्चात जन्म प्रमाणपत्र में दोनों नामों को लिखने को अधिमान दे। यदि आवेदक को 'उर्फ' स्वीकार्य न हो तो नाम में आवश्यक परिवर्तन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर रजिस्ट्रार की संतुष्टि पर किया जा सकता है। उक्त परिवर्तन करने के पश्चात, जन्म रजिस्ट्रर के टिप्पणी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज की जानी चाहिए और जन्म रजिस्ट्रर के टिप्पणी कॉलत में शुद्धि की तिथि और दोनों नामों का उल्लेख करें।

3. जहाँ तक जन्मतिथि में शुद्धि का संबंध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्ररों में प्रविष्टिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और ये प्रविष्टियां जन्म मृत्यु जो भी हो, के तथ्य का निर्णायक साक्ष्य है। उपर्युक्त तथ्य को मद्देनजर रखते हुए, जन्ततिथि में शुद्धि की अनुमति नही होनी चाहिए, जब तक कि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट नही हो जाता हैं कि जन्म तिथि में घटना की रिपोर्टिंग/रजिस्ट्रीकरण के समय, पर एक कपटपूर्ण प्रविष्टि की गई थी।

4. आप से अनुरोध है कि संबंधित पंजीकरण अधिकारियों को अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करें। इसी के साथ ही, रजिस्ट्रारों को जन्म रिकार्ड में नाम और जन्मतिथि में परिवर्तन की प्रथा को प्रोत्साहित न करने की हिदायत दी जानी चाहिए तथा इसे अन्तिम आश्रय के रूप में किया जाना चाहिए।

भवदीय,

–ह0–
(आर.के.गौतम)
उप महारजिस्ट्रार

No.1 / 12 / 2014 / –वीएस–(सीआरएस)–361

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

वी.एस. डिवीज़न, पश्चिमी खण्ड–1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

V.S. Division, West Block-I, R.K. Puram, New Delhi-110066

Tele-Fax : 26104012 E-mail- drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

Dated: 31-12-2015

To,

The Chief Registrar of births and deaths
Rajasthan,

Sub : Honb'le Supreme Court Judgment regarding registration of birth of a child in case of single parent/ unwed mother

Sir,

Please refer this office letter of even number dated 21st july, 2015 vide which you were requested to issue necessary direction to the concerned registration functionaries for strict compliance of Hon'ble Supreme court direction issued on 6th July, 2015 regarding registration of birth of a child in case of single parent/unwed mother.

As you have already informed that Honb'le Supreme Court in its judgment stated that: "If a single parent/ unwed mother apply for the issuance of a Birth certificate for a child born from her womb the Authorities concerned may only require her to furnish an affidavit to this effect, and must thereupon issue the Birth certificate, unless there is a Court direction to the contrary". The court also directed that no citizen suffers any Inconvenience or disadvantage merely because the parents fail or neglect to register the birth.

Taking into consideration the above direction, you are requested to issue the necessary direction to the concerned registration functionaries for strict compliance of the above direction and ensure that no one is denied birth registration of a child of Single parent/unwed mother. Is such case, the name of single parent will be written in the birth record and name of other parent will be left blank. This office may be appraised about the action taken in this regard.

Yours faithfully

-SD-
(P.A. Mini)
Deputy Registrar General
(CRS)

स. 01/02/राजस्थान/2012–जीवनांक(सीआरएस)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

जीवनांक प्रभाग,पश्चिमी खण्ड–1,रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली – 110066

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S.Division,West Block-1,R.K.Puram,New Delhi- 110066

Tele-fax: 26100678 E-mail rohitb.rgi@nic.in, ajayk.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक 27/07/2016

सेवा में,

उप मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु तथा
उप निदेशक (जीवनांक),
राजस्थान,
योजना भवन, नई हाईकोर्ट बिल्डिंग के पीछे,
तिलक मार्ग, सी स्कीम,
जयपुर – 302005

विषयः जन्म प्रमाण पत्र में संशोधन करने हेतु।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13/5(12) बजट/वीएस/डीईएस/2015/I/54335/2016 दिनांक 26.07.2016 का संदर्भ लें। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि संदर्भित मामले के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने जन्म तिथि में तो कोई परिवर्तन नहीं मांगा है अपितु जन्म के वर्ष मे परिवर्तन की मांग की है जो कि संभवतः रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा अथवा आवेदक द्वारा भूलवश लिखा गया होगा। अतः इसे लिपिकीय (clerical) गलती मानते हुऐ इसमे जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है।

2. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुऐ आपसे अनुरोध है कि संबन्धित जिला रजिस्ट्रार को इस संबंध में आवश्यक आदेश शीघ्र ही जारी करें एवं उन्हे संशोधित जन्म प्रमाण पत्र (11.05.1989 से 11.05.1990) जारी करने के लिये कहा जा सकता है। इस संदर्भ मे इस कार्यालय के पत्र संख्या 1/12/2014–जीवनांक – सीआरएस दिनांक 30.06.2015 का भी संदर्भ लिया जा सकता है। इस कार्यालय को की गई कारवाई से से अवगत कराएं।

भवदीय

–ह0–

(रोहित भारद्वाज)

उपमहरजिस्ट्रा, सीआरएस

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–13) विभाग

क्रमांकः प.6(19)गृह–13/2006 जयपुर, दिनांकः 05.05.2007

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जयपुर नगर निगम,
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन,
लाल कोठी, टोंक रोड,
जयपुर।

विषयः– विवाह प्रमाण पत्र में संशोधन बाबत्।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक एफ–3(1)सीईओ/(सा.प्र.)/जननि/07/75 दिनांक 28.04.2007 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आप द्वारा वांछित बिन्दुवार मार्गदर्शन निम्न प्रकार से हैः–

1. विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में यदि त्रुटिवश सरनेम लिखना रह जाता है तो प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र के आधार पर सरनेम जोडा जा सकता है।
2. पूर्व में जारी प्रमाण पत्र गुम हो जाने अथवा नष्ट हो जाने की स्थिति में दम्पत्ति में से किसी भी एक के द्वारा नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र, जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीक हो, प्रस्तुत करने पर डूप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। इस प्रमाण पत्र में पूर्व में अंकित क्रमांक का ही अंकन किया जावे एवं डूप्लीकेट होने का भी अंकन किया जावे। इसका इन्द्राज रजिस्टर में भी किया जावे। इस बाबत् पूर्व निर्धारित शुल्क लिया जावें।

भवदीय,

–ह0–
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–13) विभाग

क्रमांकः प.6(19)गृह–13/2006 जयपुर, दिनांकः 11.09.2007

आयुक्त (मुख्यालय)
जयपुर नगर निगम,
जयपुर।

विषयः– विवाह प्रमाण पत्र में पत्नी का नाम परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांकः एफ–25(33)विवाह/पंजीयन/ज.न.नि./ज.मृ./191/148 दिनांक 07.09.07 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि उक्त प्रकरण में श्री जितेन्द्र इसरानी पुत्र श्री दीपचन्द इसरानी की शादी दिनांक 05.11.06 को शालनी आहूजा के साथ हुई थी। शालनी आहूजा ने शादी के पश्चात अपना नाम बदलकर वंशिका इसरानी रख लिया हैं इस सम्बन्ध में गजट में भी निकलवा दिया है एवं राशनकार्ड में भी नाम बदलते हुए वंशिका इसरानी करवा दिया गया है। इस समय प्रार्थी की पत्नि का नाम वांशिका इसरानी है और शादी का पंजीयन अब करवाया जा रहा है। इस संबंध में सभी विधि सम्मत कार्यवाही कर ली गई है। अतः परिवर्तित नाम (वांशिका इसरानी) से शादी पंजीयन करने का श्रम करें।

भवदीय,

–ह0–
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–13) विभाग

क्रमांकः प.6(19)गृह–13/2006 जयपुर, दिनांकः 22.05.2009

समस्त जिला कलेक्टर्स,
(जिला विवाह पंजीयन अधिकारी),
राजस्थान।

विषयः– मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल रिट ट्रांसफर पिटीशन संख्या 291/2005 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में जारी "विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु दिशा–निर्देश" के बिन्दु संख्या–5 में संशोधन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल रिट ट्रांसफर पिटीशन संख्या 291/2005 श्रीमती सीमा बनाम अश्विनी कुमार के अन्तर्गत प्रदत्त निर्णय दिनांक 15.02.2006 की अनुपालना में विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा "विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु दिशा–निर्देश" दिनांक 22.05.2006 जारी किये गये है।

उक्त दिशा–निर्देशों को अधिक सरल एवं जन–साधारण के लिए सुगम बनाये जाने तथा नव वर–वधू को विवाह पंजीयन के सन्दर्भ में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से वर्तमान दिशा–निर्देशों के बिन्दु– 5.1 (i) में आवश्यक संशोधन कर निम्न प्रकार से प्रावधान सम्मिलित किया जाता हैः–

5.1 (i) विवाह पंजीयन कहां होगा :–
(अ) विवाह सम्पन्न होने वाले क्षेत्र के विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा विवाह का पंजीयन किया जायेगा।

अथवा

(ब) वर–वधू विवाह पश्चात् जिस जिले में निवास कर रहे है उस क्षेत्र के विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा भी विवाह पंजीयन किया जा सकेगा बशर्ते कि विवाह पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के तत्काल कम से कम 30 दिन पूर्व से उस क्षेत्र में वर–वधू निवास कर रहे हो।

अतः कृपया अपने क्षेत्राधिकार/जिले में सम्पन्न होने वाले अथवा पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदनों पर उक्त संशोधन के अनुक्रम में वांछित कार्यवाही सुचारू रूप से सम्पादन हेतु सभी सम्बन्धितों को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय,
–ह0–
(एस0 एन0 थानवी)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा।
3. रक्षित पत्रावली।

–ह0–
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–13) विभाग

क्रमांकः प.6(19)गृह–13/2006 जयपुर, दिनांकः 24.11.2010

अधिसूचना

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार समस्त जिला कलेक्टरों को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के लिए जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में इसके द्वारा नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

–ह0–
(प्रदीप देब)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
गृह विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राज0, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0, जयपुर।
4. महानिदेशक पुलिस, राज0, जयपुर।
5. निदेशक, पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज0, जयपुर।
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त, सम्भाग .... राजस्थान।
8. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेन्ज...राजस्थान।
9. समस्त जिला कलेक्टर्स, ... ।
10. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, ... ।
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव .... ।
12. रक्षित पत्रावली।

–ह0–
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत शासन विभाग, राज., जयपुर

क्रमांक एफ8(ग)(9)(नियम)स्वा.शा.वि./06/8008–8197 जयपुर, दिनांक 13/12/2010

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय समस्त, राज.।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, जयपुर
3. समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाएं राज.।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह (ग्रुप–13) विभाग के द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पूर्णरूपेण अनुपालना सूनिश्चित करें।

–ह0–
सहायक विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–13) विभाग

क्रमांकः प.6(19)गृह–13/2006 जयपुर, दिनांकः 24.11.2010

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को मॉनिटर और पुनरीक्षित करने के लिए निदेशक, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, राजस्थान को राजस्थान राज्य के लिए विवाह के महारजिस्ट्रार के रूप में इसके द्वारा पदाभिहित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

–ह0–
(प्रदीप देब)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
गृह विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

13. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राज0, जयपुर।
14. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर।
15. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0, जयपुर।
16. महानिदेशक पुलिस, राज0, जयपुर।
17. निदेशक, पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर।
18. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज0, जयपुर।
19. समस्त सम्भागीय आयुक्त, सम्भाग .... राजस्थान।
20. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेन्ज...राजस्थान।
21. समस्त जिला कलेक्टर्स, ...।
22. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, ...।
23. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव ....।
24. रक्षित पत्रावली।

–ह0–
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–13) विभाग

क्रमांकः प.6(19)गृह–13/2006 जयपुर, दिनांकः 24.11.2010

अधिसूचना

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के लिए विवाह के रजिस्ट्रार के रूप में इसके द्वारा नियुक्त करती है, अर्थात्:–

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	अधिकारिता
1.	ग्राम पंचायत का सचिव	सम्बन्धित ग्राम पंचायत का क्षेत्र
2.	नगरपालिका बोर्ड का कार्यपालक अधिकारी	सम्बन्धित नगरपालिका बोर्ड का क्षेत्र
3.	नगर परिषद का आयुक्त	सम्बन्धित नगर परिषद का क्षेत्र
4.	नगर निगम का आयुक्त	सम्बन्धित नगर निगम के क्षेत्र में उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के लिए

राज्यपाल के आदेश से,

–ह0–
(प्रदीप देब)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
गृह विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राज0, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0, जयपुर।
4. महानिदेशक पुलिस, राज0, जयपुर।
5. निदेशक, पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज0, जयपुर।
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त, सम्भाग .... राजस्थान।
8. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेन्ज...राजस्थान।
9. समस्त जिला कलेक्टर्स, ... ।
10. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, ... ।
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव .... ।
12. रक्षित पत्रावली।

–ह0–
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–13) विभाग

क्रमांकः प.6(19)गृह–13 / 2006 / पार्ट–1A   जयपुर, दिनांकः 15.09.2016

उप निदेशक (जीवनांक),
आर्थिक एवं सांख्यिकी
निदेशालय, जयपुर

विषयः– विवाह पंजीयन निरस्त करने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक एफ 13 / 1 / वीएस / डीईएस / एम.आर / 2016 / I / 56423 / 2016 दिनांक 02.09.16 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवदेन है कि आपके द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के संबंध में विधि विभाग की राय के अनुसार राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 में विवाह के अनुष्ठान के पश्चात् विवाह के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। विवाह रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का कोई प्रावधान नही है। सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

–ह0–
(कैलाश चन्द शर्मा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–13) विभाग

क्रमांकः प.6(19)गृह–13/06/पार्ट–5 जयपुर, दिनांकः 06.12.2016

उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)
एवं उप निदेशक (जीवनांक),
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

विषयः– क्रिश्चियन विवाहों के पंजीकरण के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक एफ 13/1/वीएस/डीईएस/2013/I/60623/2016 दिनांक 29.11.16 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 की धारा 7 के अनुसार राजस्व जिले से तीन क्रिश्चियन सदस्यों के नाम के संबंध में जिला कलेक्टर अपने स्तर पर स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है।

भवदीय,

–ह0–
(कैलाश चन्द शर्मा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–13) विभाग

क्रमांकः प.6(19)गृह–13/06/पार्ट–1A जयपुर, दिनांकः 23.12.2016

उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)
एवं उप निदेशक (जीवनांक),
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

विषयः– विवाह पंजीयन करने के क्रम में

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक एफ 13/1/वीएस/डीईएस/2013/I/60624/2016 दिनांक 29.11.16 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के संदर्भ में विधि विभाग की राय के अनुसार राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् राजस्थान राज्य में ऐसे व्यक्तियों जो भारत के नागरिक है, के बीच अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा।

भवदीय,

–ह0–
(कैलाश चन्द शर्मा)
सहायक शासन सचिव

जन्म प्रमाण पत्र आपके बच्चे के भविष्य का काम बनाए आसान

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

टोल फ्री नं.– **1800-180-6785**

ईमेल- jdvital.des@rajasthan.gov.in

वेब साईट- http://pehchan.raj.nic.in